संख्या-159/2016/आर-3362/26-3-2016-2(सी.पी.एल.)/2011

प्रेषक,

विजय प्रसाद त्रिपाठी,

अनुसचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

समाज कल्याण,

उ0प्र0,लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 01 सितम्बर, 2016

विषयः- अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत सी0पी0एल0 प्रशिक्षण कोर्स हेतु वर्ष 2014-15 के सापेक्ष चयनित छात्र श्री अजीत कुमार वर्मा पुत्र श्री माधवराम ग्राम-महावीरी, पोस्ट ओयल, जनपद लखीमपुरखीरी एवं श्री मोहित सिंह पुत्र श्री किशोर कुमार ई0डब्लू0एस0-757 रत्नाकर खण्ड, रायबरेली रोड़ लखनऊ को कार्मशियल पाइलेट लाइसेन्स कोर्स हेतु प्रथम किश्त की धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-1508/स.क./शिक्षा-अ/सी.पी.एल.2016-17, दिनांक-26.07.2016 एवं पत्रांक-1882/स.क./शिक्षा-अ/सी.पी.एल./2016-17, दिनांक-03.08.2016 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत कार्मशियल पाइलेट लाइसेन्स प्रशिक्षण कोर्स हेतु चयनित निम्नलिखित 02 छात्रों को प्रथम किश्त के रूप में कुल रूपया-17,75,730/- के भुगतान की अनुमति प्रदान की जाती हैः-

क्र.सं.	चयनित छात्र का नाम/विवरण	भारत सरकार द्वारा अनुमोदित धनराशि	प्रथम किश्त के रूप में (33 प्रतिशत) भुगतान हेतु धनराशि
1	श्री अजीत कुमार वर्मा पुत्र श्री माधवराम ग्राम-महावीरी, पोस्ट ओयल, जनपद लखीमपुरखीरी	रू0-26,29,000/-	रू0-8,67,570/-
2	श्री मोहित सिंह पुत्र श्री किशोर कुमार ई0डब्लू0एस0-757 रत्नाकर खण्ड, रायबरेली रोड़ लखनऊ	रू0-27,52,000/-	रू0-9,08,160/-
		कुल योग	रू0-17,75,730/-

(रूपया सत्तरह लाख पचहत्तर हजार सात सौ तीस मात्र)

2- उक्त धनराशि का भुगतान चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-83 के आयोजनागत पक्ष में प्राविधानित धनराशि जिसकी स्वीकृति पूर्व में निर्गत करके निदेशक, समाज कल्याण के निर्वतन पर रखी गयी हैं, से व्यय की अनुमति प्रदान की जाती है। सुसंगत नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक-22 मार्च 2016 में निहित प्राविधानों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

विजय प्रसाद त्रिपाठी

अनुसचिव

2--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृ0संख्या-159/2016//आर-3362(1)/26-3-2016-तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1.महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम उ0प्र0, इलाहाबाद।

2.निदेशक, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन नई दिल्ली।

3.कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।

4.वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

5.समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ/गार्डफाइल।

आज्ञा से

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।